झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

एसए सं. 112/ 2021

कृत साव एवं अन्य .... अपीलकर्ता

बनाम

भोला साव एवं अन्य .... उत्तरदाताओं

- - - - - -

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

- - - - - -

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री कुंदन कु. अंबष्ठ, अधिवक्ता

- - - - - -

आदेश सं. 04 दिनांक- 24.01.2023

आई.ए. सं.9479/ 2022

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस अंतर्वर्ती आवेदन में मृतक प्रतिवादी संख्या 21, 23, 25 और 26 के कानूनी प्रतिनिधियों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना की गई है, जो प्रथम अपीलकर्ता के समक्ष प्रतिवादी थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान अपील के मृतक प्रतिवादी संख्या 61 के कानूनी प्रतिनिधियों को भी प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना की गई है। आगे निवेदन किया गया है कि बँटवारा अपील संख्या 03/2011 लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 21, 23, 25 और 26 की मृत्यु क्रमशः 20.05.2018, 04.12.2012, 25.08.2015 और 05.07.2012 को हो गई थी।

यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी मृतक पक्षकार के पक्ष में या विरुद्ध पारित की गई डिक्री अमान्य होती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **किशुन उर्फ राम किशुन (मृत, एलआरएस के माध्यम से) बनाम बिहारी (मृत, एलआरएस के माध्यम से)** के मामले में कहा गया है, जिसे **(2005) 6 एससीसी 300** में प्रकाशित किया गया है, पैरा-6 में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

> *"6. जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ठीक ही कहा है और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी ठीक ही सहमति व्यक्त की है, उच्च न्यायालय द्वारा किसी ऐसे पक्षकार के पक्ष में*

अथवा तथा किसी पक्षकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री, जो मर चुका हो, स्पष्ट रूप से अमान्य होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों का नाम उक्त अपील में दर्ज नहीं किया गया था और इस प्रकार द्वितीय अपील को रद्द कर दिया गया था। इस संक्षिप्त आधार पर यह अपील स्वीकार करने योग्य है और उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त करने योग्य है।

इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि जिस आक्षेपित निर्णय के खिलाफ यह अपील दायर की गई है, वह मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया गया है और इसलिए यह द्वितीय अपील सुनवाई योग्य नहीं है। चूंकि यह अपील उस निर्णय के खिलाफ की गई है, जो अमान्य है, अतः इस द्वितीय अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज किया जाता है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी संख्या 21, 23, 25 और 26 के स्थान पर पक्षकार बनाने के लिए प्रथम अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष इस मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **अलीमुद्दीन अंसारी बनाम वासिया खातून**, के मामले में पारित आदेश को भी प्रस्तुत किया है, जो **(2004) 4 जेसीआर 700 (झा.)** में प्रकाशित की गई है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने पर रोक नहीं लगाया जा रहा, जो निचली अदालत में इस डिक्री मामले को सुनवाई के लिए फिर से खोलने और प्रतिवादियों संख्या 21, 23, 25 और 26 के कानूनी प्रतिनिधियों को उस अदालत में अभिलेख में दर्ज कराने के लिए कानूनन स्वीकार्य हैं।

चूंकि इस द्वितीय अपील का निपटान हो चुका, अतः सभी अंतर्वर्ती आवेदनों का निपटान किया जाता है, क्योंकि अब वे निष्फल हैं।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०)

सोनू-गुंजन/-